न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 53/2018 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. श्री प्रकाश पिता छोगमल डालमिया उम्र वयस्क निवासी 2 एन 7 आर.सी.व्यास. कोलोनी भीलवाडा ,तहसील व जिला–भीलवाडा .... **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... **विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री प्रकाश डालमिया............ प्रार्थी**

पैरोकार सरकार.............विपक्षी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.02.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम दांता निलावरी पटवार हल्का क्षैत्र बालेसरिया तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 178 के आराजी संख्या 809/2 रकबा 00–12 बिस्वा किस्म बी.ब., आराजी संख्या 809/3 रकबा 01–08 बीघा किस्म गै.मु.वाणिज्यिक कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा प्रार्थी के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक एफ.12–4(30)/आरए/2010/3628 दिनांक 27.08.2010 व संशोधन आदेश कमांक/एफ 12–4(30)आरए/2010/99047 दिनांक 09.11.2010 से आराजी संख्या 809/2 रकबा 01–08 गे.मु. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रार्थी के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति पारित हुई थी। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 15.11.2010 राजस्व कर्मचारीयों द्वारा लिपिकीय त्रुटी कारित कर राजस्व रेकार्ड में रूपान्तरित भूमि आराजी संख्या 809/2 रकबा 01–08 बिस्वा किस्म गे.मु. वाणिज्यिक, आराजी संख्या 809/2 रकबा 00–12 बीघा किस्म बी.ब. कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा के स्थान पर आराजी संख्या 809/2 रकबा 00–12 बिस्वा किस्म बी.ब., आराजी संख्या 809/3 रकबा 01–08 बीघा किस्म गै.मु.वाणिज्यिक कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा दर्ज रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्रीमान जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक एफ.21–6( )/न्याय/2017/25343 दिनांक 17.11.2017 द्वारा श्री प्रकाश पिता छोगमल डालमिया के नाम पर विवादित आराजी संख्या 809/2 रकबा 01–08 बीघा पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की डीलरशिप हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त राजस्व अभिलेखों में भूलवश हुई लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम दांता निलावरी पटवार हल्का क्षैत्र बालेसरिया तहसील बनेडा स्थित आराजी संख्या 809/2 रकबा 00–12 बिस्वा किस्म बी.ब., आराजी संख्या 809/3 रकबा 01–08 बीघा किस्म गै.मु.वाणिज्यिक कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा के स्थान पर आराजी संख्या 809/2 रकबा 01–08 बिस्वा किस्म गे.मु. वाणिज्यिक, आराजी संख्या 809/3 रकबा 00–12 बीघा किस्म बी.ब. कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 15.02.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रकरण में राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रार्थनापत्र के तौर पर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, रिकार्ड पर लिया गया। पत्रावली में सलंग्न राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जवाब प्रार्थनापत्र के तौर पर प्रस्तुत रिपोर्ट व रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक बेरा, पटवारी हल्का दांतानिलावरी का अवलोकन/परिक्षण किया गया। प्रस्तुत ईकबालिया जवाब/रिपोर्ट प्रार्थनापत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत आधार राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से प्रकरण शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर, न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी सहमति से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम दांता निलावरी पटवार हल्का क्षैत्र बालेसरिया तहसील बनेडा स्थित आराजी संख्या 809/2 रकबा 00–12 बिस्वा किस्म बी.ब., आराजी संख्या 809/3 रकबा 01–08 बीघा किस्म गै.मु.वाणिज्यिक कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा के बजाय आराजी संख्या 809/2 रकबा 01–08 बिस्वा किस्म गे.मु. वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प हेतु), आराजी संख्या 809/3 रकबा 00–12 बीघा किस्म बी.ब. कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा आराजीयात को वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 53/2018 **दिनांक 27.02.2018**

प्रतिलिपि मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 15 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा,
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)